

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ.1(6)डीओपी/ए-II/2017

जयपुर, दिनांक : 11/10/2017

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) (...III...संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची- I का संशोधन.- राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, से संलग्न अनुसूची-I में विद्यमान कम संख्यांक.....19.....और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नयी कम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी अर्थात् :-

" 80.राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा 1. सहायक निदेशक। "

3. अनुसूची- II का संशोधन.- उक्त नियमों की अनुसूची- II में विद्यमान कम संख्यांक....18.....और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया कम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी अर्थात् :-

"...13....राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा 1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
2. कार्यक्रम अधिकारी"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सुनील शर्मा) 11/10/2017

संयुक्त शासन सचिव

52/2017